15/05/24 आज यह पत्रा० पेश हुई। वकुलाय कारिन्दा उप०।
बहस सुनी गई। पत्रा० वास्ते आदेश दि. 31.05.24 को
पेश हो।

31.05.24 आज यह पत्रावली पेश हुई
वकुलाय पक्षकारान उप० / आदेश
अभिलेख आंशिक स्वीकार किया जाता।
निर्णय पृथक से लिखा जा रहा है
आ०प्र० हो। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नत्थी से जमा हो।

सचिन यादव
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— सचिन यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 07 / 23 दायर दिनांक: 15.12.23

जीसीएमएस नं. 2023 / 385

1.सुशील कुमार, 2.राममूर्ति पुत्रान श्री रामस्वरूप जाति जाटव नि. नयागाँव खालसा, तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

—अपीलान्ट

बनाम

1.ग्रा.पं. गौगेरा, पं.स. भुसावर जरिये सरपंच ग्रा.पं. गौगेरा, पं.स. भुसावर, जिला भरतपुर राज.

2.कजौड़ी, 3.मंगती, 4.रूपीराम पुत्रान हाबूरा जातियान जाटव नि. आँजनहेड़ा तह. भुसावर

5.किशनदेई पुत्री हाबूरा पत्नि कमल जाति जाटव नि. भूतौली तह. वैर

6.झांझन पुत्री हाबूरा पत्नि छिंगा जाति जाटव नि. नयागाँव खालसा तह. भुसावर

7.प्रेम पुत्री हाबूरा पत्नि रामलखन जाति जाटव नि. नयागाँव खालसा तह. भुसावर

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामा. संख्या 125 दिनांक 21.07.2023 व स्वीकृत दिनांक 05.08.2023 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता— 1.श्री आजाद बाबू —अपीलान्ट

2.पप्पूराम —रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 31.05.2024

अपील अपीलान्ट द्वारा विरूद्ध नामा. संख्या 125 दिनांक 21.07.2023 व स्वीकृत दिनांक 05.08.2023 ग्रा.पं. गौगेरा तह. भुसावर पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 119 रकबा 0.32, 236 रकबा 2.43 हैक्टे. किता 2 कुल रकबा 2.75 हैक्टे. व आ.ख.नं. 115 रकबा 0.05, 125 रकबा 0.06, 236 / 868 रकबा 0.04 हैक्टे. किता 3 कुल रकबा 0.15 हैक्टे. एवं आ.ख.नं. 116 रकबा 0.48, 234 रकबा 0.01, 114 रकबा 0.65, 118 रकबा 0.75, 235 रकबा 0.90, 113 रकबा 0.32, 117 रकबा 0.74 हैक्टे. वाके ग्राम आँजनहेड़ा तह. भुसावर जिला भरतपुर में स्थित है। जिसमें अपीलान्ट के नाना व रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 7 के पिता हाबूरा पुत्र अतबल जाति जाटव नि. आँजनहेडा तह. भुसावर 1 / 6 हिस्से के काबिज काश्तकार एवं खातेदार था। हाबूरा की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त आराजी का विरासत का दाखिल खारिज सं. 125 ग्राम आँजनहेडा रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 7 के नाम वाहिस्सा बराबर दर्ज हो गया। जबकि मृतक हाबूरा की एक पुत्री रेशम भी थी, जिसकी भी मृत्यु हाबूरा से पूर्व हो गई था। मृतक रेशम के विधिक वारिसान अपीलान्ट है। जिनका भी उक्त हाबूरा के 1 / 6 हिस्से की आराजी में 1 / 7 हिस्सा निहित था। लेकिन रेस्पोडेन्ट सं. 4 द्वारा एक शपथ पत्र राजस्व कर्मचारियों के समक्ष पेश करते हुए अपीलान्ट को हाबूरा का वारिस नहीं दर्शा कर रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 7 के नाम आराजी का विरासत का दाखिला दर्ज करा लिया। जबकि हाबूरा की पुत्री अपीलान्ट की माँ रेशम भी थी, जिसके अपीलान्ट विधिक वारिसान है। इस प्रकार ग्रा.पं. गौगेरा द्वारा पारित नामा. सं. 125 दिनांक 21.07.2023 व स्वीकृत दिनांक 05.08.2023 निम्न आधारों पर निरस्त किये जाने योग्य है, अवधि में पेश है, तथा विवादित नामा. की सत्यप्रतिलिपी निम्न प्रकार पेश है:—

विवादित आराजी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 7 की पैत्रिक आराजी थी, जो हाबूरा की छोड़ी गई है। जिसमें हाबूरा की खातेदारी की आराजी में सजरा के अनुसार अपीलान्ट संपूर्ण आराजी में 1 / 42 हिस्से के व रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 7 वाहिस्सा बराबर 1 / 7 हिस्से के अर्थात प्रत्येक 1 / 42, 1 / 42 हिस्से के खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा पारित आदेश निरस्त होने योग्य है।

विवादित आराजी में अपीलान्ट हाबूरा की छोड़ी गई आराजी में 1 / 42 हिस्से के पर काबिज चले आ रहे हैं। जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपना आदेश पारित करने से पूर्व हाबूरा के वारिसान बाबत कोई जाँच ना करते हुए सरसरी तौर पर अपना आदेश पारित किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उपख... भुसाव... 3/2

रेस्पोडेन्ट सं. 4 रूपीराम द्वारा पेश सजरा का शपथ पत्र में अपीलान्ट को छुपाते हुए पेश किया गया है, जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने विश्वास करते हुए व वारिसान की जाँच किये बगैर ही अपना आदेश पारित कर दिया है। जो निरस्त होने योग्य है।

हाबूरा अपीलान्ट का नाना था, जिसकी पुत्री रेशम थी, जिसके विधिक वारिसान अपीलान्ट है, जिनको रेस्पोडेन्ट सं. 4 ने अपने शपथ पत्र मे जानबूझकर छिपाते हुए व अपने आप को लाभ पहुँचाने के इरादे से पेश करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 से उक्त आदेश पारित कराया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा पारित आदेश निरस्त होने योग्य है।

अतः अपीलार्थी द्वारा अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर नामा. सं. 125 दिनांक 21.07.2023 निरस्त करने बाबत् निवेदन किया।

हमने अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक कराई गई। नोटिस की ताईद में रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री पप्पूराम अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा एवं जवाब अपील प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 7 द्वारा अपील को सभी बिन्दुओं को स्वीकार किया गया है। तथा अपील स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया है। तथा शपथ पत्र श्री रूपीराम रेस्पो. सं. 4 द्वारा प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं बहस उभयपक्ष अधिवक्ता के मनन करने एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड के अध्ययन से हम इस अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर नामा. सं. 125 दिनांक 21.07.2023 स्वीकृत दिनांक 05.08.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, भुसावर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पुनः पक्षकारान की विधिवत सुनवाई कर बाद जाँच नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सचिन यादव)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)